आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली-12 /Pusa, New Delhi-12

मि.सं. 20-6/2021-आ. /179 दिनांकः 02/03/2023

परिपत्र

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थानांतरण के उपरांत जो भी अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार स्वीकृत अवधि के पश्चात् संस्थान द्वारा आवंटित आवास को रिक्त नहीं करते हैं और अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखते हैं, ऐसे सभी कर्मचारी नुकसान प्रभार शुल्क (डैमेज लाइसेंस शुल्क) तथा जल शुल्क (यदि संबंधित आवास में लागू हो) का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। इससे संबंधित शुल्कों की सूची अनुसंलग्नक-I पर देखी जा सकती है। इस विषय में पूर्व में भी इस अनुभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दि. 13/04/2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवगत कराया गया था, परंतु वर्तमान में कई ऐसे मामले इस अनुभाग के संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें स्वीकृत अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद भी सरकारी आवास को रिक्त नहीं किया जाता है और जब नियमानुसार शुल्क वसूलने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है तो संबंधित कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इन शुल्कों का ज्ञान न होने के कारण शुल्क माफ करने की प्रार्थना की जाती है जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि आवास आवंटन नियमावली को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अनावश्यक धनराशि के भुगतान से बचें एवं आवास को शीघ्र-अति-शीघ्र स्वीकृत अवधि के भीतर खाली करने का दायित्व निभायें।

यह सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

02/03/2023

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

प्रतिः

1. निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजि सचिव।
2. सं.नि.(प्रसार/अनु./प्रशा.), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजि सचिव।
3. लेखानियंत्रक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजि सचिव।
4. सभी संभागाध्यक्षों/संभाग प्रभारियों को अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करवाने की व्यवस्था करवाने हेतु।
5. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 को संस्थान की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड/हाउसिंग नोटिस पर अपलोड करने हेतु।
6. सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों (नाम द्वारा) जिनको तय सीमा तक आवास की सुविधा दी गई है।
7. गार्ड मिसिल।

आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली-12/Pusa, New Delhi-12

F.No. 20-6/2021/आ. /12391/50 Date: 13 /04 /2021

CIRCULAR

It is often seen that after superannuation/death/transfer, the officials/employees who do not vacate the government quarter after permitted period & retain the same unauthorisedly, are liable to pay the damage charges of license fee as per rule. Due to incomplete information at their end, many objections are also raised by them. Hence, all officials/employees are hereby informed that rates of damage charges (as per **telescopic scheme)** are applicable for unauthorised occupation of government quarter after permitted period as per **Annexure I** (attached). In addition to, water charges will also be applicable.

Hence, all concerned are hereby advised to vacate the government quarter within the permitted period to avoid the payment of huge amount of damage charges/eviction of residence under **PP Act 1971.**

12/4/21

Admn. Officer(H)

Copy to:

1. PS to Director/JD(E)/JD(R)/JD(A), IARI, New Delhi-110012
2. Comptroller, IARI, New Delhi-110012
3. All Heads of Divisions, IARI, New Delhi-110012 to circulate among all the staff.
4. Incharge, AKMU, IARI, New Delhi-110012 to upload the same on the institute website.
5. Guard File.

Hindi version follows

आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली-12/Pusa, New Delhi-12

मि.सं. 20-6/2021/आ./2391/50

दिनांकः 13/04/2021

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि सेवानिवृत्ति/मृत्यु/स्थानांतरण के उपरांत जो अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत अवधि के पश्चात् संस्थान द्वारा आवंटित आवास रिक्त नहीं करते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखते हैं, उनको नियमानुसार नुकसान प्रभार शुल्क (डैमेज लाइसेंस शुल्क) का भुगतान करना पड़ता है। जिसके विषय में पूर्ण जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा आपत्ति भी जताई जाती है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में यह लाया जाता है कि सरकारी आवास को स्वीकृत अवधि अर्थात् आवास रद्द होने के पश्चात् रखने पर नियमानुसार Telescopic पद्धति के अनुसार **(Annexure-1 पर देखा जा सकता है)** वसूला जाएगा। इसके साथ साथ जल प्रभार की भी सामान्य वसूली की जाएगी।

अतः उपरोक्त डैमेज लाइसेंस शुल्क को सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में इसलिए लाया जाता है ताकि वे अनावश्यक धनराशि के भुगतान से बचते हुए स्वीकृत अवधि के अंदर ही सरकारी आवास को खाली कर दें तथा अन्य किसी कार्रवाही जैसे **PP Act 1971** के अंतर्गत आवास की बेदखली से भी बच सकें।

12/4/21

प्रशासनिक अधि.(आ.)

प्रतिः

1. निदेशक/सं.नि.(प्रसार)/सं.नि.(अनु.)/सं.नि.(प्रशा.), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजि सचिव।
2. लेखानियंत्रक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 के निजि सचिव।
3. सभी संभागाध्यक्षों/संभाग प्रभारियों को अपने अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचालित करने हेतु।
4. प्रभारी ए.के.एम.यू. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड मिसिल।